भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3933

उत्तर देने की तारीख : 12.08.2026

मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन

3933. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान केरल राज्य सहित मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन (एमएईएफ) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अवसंरचना अनुदान, एनजीओ वित्तीय सहायता, संस्थानों और छात्रों को छात्रवृत्तियों सहित वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित और संवितरित की गई है;

(ख) एमएईएफ द्वारा विशेषकर केरल में वित्तपोषित चालू, लंबित या रुकी हुई शैक्षिक अवसंरचना परियोजनाओं का इनके सरकारी समापन और विघटन प्रक्रिया से पहले का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमएईएफ की निधियों और परिसंपत्तियों के ट्रांसफर के बाद विशेषकर केरल में संस्थानों और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोई बकाया वित्तीय देनदारियां या लंबित छात्रवृत्ति/अनुदान संवितरण मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एमएईएफ द्वारा विशेषकर केरल में पूर्व में प्रबंधित लंबित शैक्षिक अवसंरचना सहायता और कौशल विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित वैकल्पिक केन्द्रीय तंत्र अथवा वैकल्पिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (MAEF) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केरल राज्य में पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान संस्वीकृत, आवंटित तथा संवितरित निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति:

वित्तीय वर्ष	बालिकाओं की संख्या	संस्वीकृत छात्रवृत्ति (करोड़ रुपए में)
2021-22	54896	31.08

चूँकि पिछले पाँच वर्षों के दौरान केरल राज्य में कोई अनुदान संस्वीकृत नहीं किया गया है, इसलिए वहाँ कोई भी परियोजना प्रगतिरत, लंबित अथवा स्थगित नहीं है। साथ ही, उक्त अवधि के दौरान केरल राज्य से संबंधित कोई बकाया देनदारियां भी लंबित नहीं है।

छात्रवृत्ति योजना के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान संस्वीकृत सभी 54,896 छात्रवृत्तियों के संवितरण हेतु कार्रवाई की गई थी। तथापि, लाभार्थियों के विवरण में विसंगतियों के कारण 36,612 छात्रवृत्तियों की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा नहीं की जा सकी।

(घ) मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (MAEF) को बंद किए जाने के निर्णय के उपरांत, शैक्षिक अवसंरचना के विकास तथा कौशल विकास से संबंधित इसके उद्देश्यों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, जिनमें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) तथा प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) शामिल हैं। जहाँ पीएमजेवीके का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शैक्षिक एवं कौशल-विकास अवसंरचना सहित विभिन्न बुनियादी ढांचों का विकास करना है, वहीं पीएम विकास का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए कौशल विकास, उद्यमिता तथा आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है।
